न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00178 (308/2016) 223 आरटीएक्ट

बिरमादेवी पत्नी हेतराम उम्र 78 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ राज0 --अपीलाण्ट/वादीया

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्री भूराराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ (फौत) विलोपित आदेश दिनांक 01.01.2016
2. मनीराम स्व0 श्री भूराराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. मदनलाल
4. वकीलचन्द
5. प्रमोद कुमार

पुत्रगण श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

6. भजनलाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम
7. रविन्द्र
8. देवेन्द्र
9. दलीप

पुत्रगण श्री भजनलाल

अकवाम बिश्नोई निवासीयान चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

10. उपपंजीयक, हनुमानगढ
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ --रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2016 द्वारा सहायक कल्क्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 262/2012 बअनवानी बिरमादेवी बनाम हेतराम आदि

श्री राजेन्द्र कुमार भुंववाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 11

निर्णय दिनांकः–27.02.2020

1. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट में एक वाद पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 24 एनडीआर तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 87/72 में 2.024 है0, चक 1 सी खाता सं0 36/33 की 3.226 है. चक 9 एमडब्ल्यूएम खाता सं0 49/43 की 0.127 है. भूमि है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 1 के पास चक 31 एन.डी.आर. खाता संख्या 46/35 में तादादी 1.165 है0 इसी चक के खाता संख्या 46/36–1 में 4.807 है0 कुल 5.972 है0 भूमि है। वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के कोई सन्तान नहीं है प्रतिवादी सं0 1 पति वादिया प्रतिवादीगण सं0 2 से 10 के अनुचित प्रभाव में है व वादिया को उपरोक्त कृषि भूमि से महरूम करने की फिराक में है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने कतई छुपे तौर पर बिना प्रतिफल दिये मनसुई तौर पर इस कृषि भूमि के बैयनामे दिनांक 24.02.2011 को अपने नाम से करवा रखे हैं जिन्हें चुनौती देने का अधिकार वादीया सुरक्षित रख रही है व शेष कृषि भूमि के बैयनामे भी प्रतिवादी सं0 6 ता 10 अपने नाम से करवाने की फिराक में है। वादिया ने दिनांक 14.09.2012 को प्रतिवादीगण से पुनः निवेदन किया कि वे इस तरह से वादिया के औरत जात व वृद्ध अवस्था का नाजायज फायदा न उठाये व इस कृषि भूमि से वादिया का महरूम नहीं करें क्योंकि वादिया के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि बिमार अवस्था में है व उन्हें अपने भले बुरे की जानकारी भी नही है इस कारण उनकी लाचारी का नाजायज फायदा नहीं उठाये व इस कृषि भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के कोई औलाद नही होने के कारण वादिया के अधिकार को खत्म नहीं करें तो उन्होंने इन्कार कर दिया व इस शेष बची कृषि भूमि का बैयनामा अपने पक्ष में करवाने की धमकी दी व वादिया को यह भी एलानिया तौर पर कहा कि उन्होंने वादिया के पति प्रतिवादी सं0 1 को अपने कब्जा में कर लिया है व उसकी बीमारी व लाचारी का फायदा उठाकर अपने पक्ष में शेष बची आरजी का बैयनामा करवा लेंगे व वादिया को उसके हकों व अधिकारों से महरूम कर घर से निकाल देंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से वादिया को वाद कारण हासिल हुआ है। वादिया वृद्ध अवस्था में है औरत जात व पर्दानसीन होने कारण अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में सक्षम नही है। इस कारण वादिया प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि प्रश्नगत आरजी जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित है को किसी भी प्रकार से रहन बेय व मुन्तकिल नहीं करें तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे व साथ में इस कृषि भूमि में अपना Pre-Existing Right भी घोषित करवाने

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की अधिकारिणी है अगर शेष प्रश्नगत आराजी का बैयनामा प्रतिवादीगण अपने नाम करवा लेते हैं तो वादिया को आगे भूखे मरने की नोबत आ जायेगी व इसका किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं हो पायेगा। प्रतिवादी सं0 1 का दिनांक 04.04.2014 को देहान्त होने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका कोई जवाब प्रतिवादीगण ने नहीं दिया व दिनांक 04.11.2015 को प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका जवाब वादिया ने पेश किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद वादीया खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीया ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कतई विधि विरूद्ध, व प्राकृतिक न्याय के विद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट/वादीया का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया है जबकि इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने अपनी जवाब देही व प्रस्तुत नजीरात से इस तथ्य को कानूनी रूप से पूर्णतया साबित कर दिया था कि वादीया/अपीलाण्ट का वाद खारिज नही हो सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को अनदेखा करते हुए विधि विरूिद्ध रूप से वाद खारिज किया है। वादीया/अपीलाण्ट ने अविलम्ब ही प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया था जिसका निस्तारण इस प्रार्थना–पत्र से पूर्व होना चाहिए था लेकिन अपीलाण्ट के निवेदन पर भी इस प्रार्थना–पत्र पर कोई गौर नही किया। प्रतिवादी सं0 6 ने अपने पक्ष में वाद के लम्बनकाल के दौरान ही बेयनामा करवा लेने से उसे किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं व इस प्रकार का मामला सुनने की पूर्ण अधिकारिता माननीय अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। माननीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि स्व0 हेतराम ने अपनी प्रश्नगत भूमि अपने जीवनकाल में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रेस्पोडेण्ट को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.09.2012 को बैय व फरोख्त कर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पो0 को सम्भला दिया तथा तभी से बिना किसी रोक टोक के मुझ प्रार्थी का बतौर खातेदार कब्जा काश्त है। अतः कानूनन वाद वादीया घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा काबिल खारिजी के था। वादीया को वाद कारण हासिल नहीं हाने तथा पंजीकृत बैयनामा होने कारण अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वाद वादीया खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.12.2019 पेज सं0 781, आरआरडी 1990 पेज 238 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपने पति के नाम से दर्ज भूमि में अपने हक अधिकार को लेकर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। अपीलाण्ट का कथन है कि हेतराम के नाम दर्ज भूमि में उसका हक व हिस्सा है जबकि रेस्पो0 का कथन है कि प्रश्नगत आरजी रेस्पो0 सं0 1 हेतराम ने उसे जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दी है। उसने अपने पति के विरूद्ध खातेदारी हेतु दावा पेश किया है जो विधि विरूद्ध है। प्रस्तुत रिकार्ड के मुताबिक चक 24 एनडीआर खाता सं0 87/72 चक 1 सी खाता सं0 36/33 व वाके चक 9 एमडब्ल्यूएम खाता सं0 49/43 की आराजी स्व0 हेतराम रेस्पोडेण्ट सं0 1 के द्वारा अपने जीवनकाल में पूर्णप्रतिफल प्राप्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.09.2012 बैय कर दी है और कब्जा भी रेस्पोडेण्ट संख्या 6 भजनलाल को संभला दिया है। बैयनामा को किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि का विक्रय विक्रेता द्वारा कर्ताखानदान के रूप में किया गया है जिसे प्रभावहीन नहीं माना जा सकता। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निष्प्रभावी करने का अधिकार सिविल न्यायलाय को है राजस्व न्यायालय इसे निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर खारिज किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधि
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2016/00178 (308/2016) 223 आरटीएक्ट

बिरमादेवी पत्नी हेतराम उम्र 78 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

—अपीलाण्ट/वादीया

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्री भूराराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ (फौत) विलोपित आदेश दिनांक 01.01.2016
2. मनीराम स्व0 श्री भूराराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. मदनलाल
4. वकीलचन्द
5. प्रमोद कुमार

पुत्रगण श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

6. भजनलाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम
7. रविन्द्र
8. देवेन्द्र
9. दलीप

पुत्रगण श्री भजनलाल

अकवाम बिश्नोई निवासीयान चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

10. उपपंजीयक, हनुमानगढ
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 262/2012 बअनवानी बिरमादेवी बनाम हेतराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर और से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2016 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.02.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 12:47:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: